केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

दिनांक: 19.06.2019

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/126
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00112
CICOM/R/2019/00329

अपीलकर्ता : श्री सुशील कुमार,
K-597, वजीरपुर जे जे कालोनी,
दिल्ली - 110052.

निर्णय की तारीख: 19.06.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	10.04.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	14.05.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर. पी. ग्रोवर
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	04.06.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	182/17.06.2019 (13298/07.06.2019)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 10.04.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से दो बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 2 के तहत उन्हें गुमराह करनेवाली सूचना दी गई है तथा अनुरोध किया है कि बिंदु सं 2 से संबंधित सूचना नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाए ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 10.04.2019 के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 2 के संदर्भ में मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश का अनुसरण करते हुए श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

19/06/19

19/06/2019

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
19 JUN 2019
D. No.
Initials.